<u>ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया</u>

बी.सी.ई.सी.ई., बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर मेद्या-सह-विकल्प के अनुसार सीट आवंटन के लिये कॉउन्सेलिंग Offline mode से की जाती है । अब इस कॉउन्सेलिंग को Online mode द्वारा आयोजित किये जाने की Planning है ।

Online Counselling के लिये निम्नवत् प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था वांछित होगी ;

(i) Online Counselling के लिये Valid अभ्यर्थियों का Registration / Option ।

(ii) प्राथमिकता अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Option list प्रत्येक Valid registered candidate द्वारा जमा करना ।

(iii) प्राथमिकता अनुसार Final option list LOCK करना ।

(iv) BCECE, Board के Requirements और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार Online Counselling mode से Seat allotment के लिये उपयुक्त software तैयार करना ।

(v) प्राथमिकतानुसार अन्तिम Option list के आधार पर मेधाक्रमवार Seat आवंटन करना ।

(vi) Provisional seat allotment order उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

(vii) BCECE Board द्वारा निर्धारित Ruls / Regulations के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को Provisional seat allotment हो गया उनके documents / Indentity की सम्यक जाँच करना

(viii) अभ्यर्थी / संस्थान द्वारा नामांकन की सम्पुष्टि करना ।

(ix) First round online counselling के आधार पर नामांकन उपरान्त Vacant Seats पर 2nd round online counselling / allotment किया जायेगा ।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पर्षद

Engineering Stream के College के लिये Allotment प्रक्रिया ।

1. सीटों का आवंटन करने के लिये सबसे पहले Unit Decide कराना अतिआवश्यक है ।
   1. Govt. Engineering Colleges
   2. पाठ्यक्रमवार / संस्थानवार कुल सीट के 5% अतिरिक्त सीटों पर Economically Backward
   3. Sanjay Gandhi Institute of Dairy Tech.
   4. Private Engineering College

   इस प्रकार 4 यूनिट बनाकर Alloment प्रक्रिया की शुरूआत की जाती है ।

2 सीटों का आवंटन में बिहार के आरक्षण के नियमों के अनुसार अनारक्षित कोटि को कुल सीट का 50%., अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% , आरक्षित वर्ग के महिला 03%, दिव्यांग के लिये कुल सीट में 5%. तथा इसके साथ सैनिक कर्मचारी कोटा का भी आवंटन होता है ।

3. अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि के निम्न क्रम में संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार (उदाहरण स्वरूप बी.सी.ई.सी.ई.-2017 की विवरणी संलग्न है) सीट आवंटन के लिये बुलाया जाता है

   Disabled Quota (DQ)
   Service Men's Quota (SMQ)
   Unreserved
   SC
   ST
   EBC
   BC
   RCG

4. सीटों का आवंटन उपरोक्त वर्णित क्रम के अनुसार एवं Merit-cum-Choice के आधार पर ही किया जाना है ।

(i) दिव्यांग कोटा - चूँकि DQ. Category की सीटें उपलब्ध Total Seat में ही समाहित रहती है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिस अनारक्षित / आरक्षित कोटि से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें उसी अनारक्षित / आरक्षित के सीट पर आवंटन किया जाता है । (उदाहरण स्वरूप यदि DQ Category का कोई अभ्यर्थी BC कोटि का है, तो उसे BC कोटि की सीट पर आवंटन होगा ।) आरक्षित कोटि में सीट नहीं रहने पर

क्र०पृ०उ०

Unreserved सीट पर आवंटन किया जाता है । Allotment के पश्चात् यदि DQ की सीटें बची रह जाती हैं, तो होने वाली अगली कांउन्सेलिंग के लिये उतनी ही सीटें Unreserved Category में Block रखी जाती है ।

वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम DQ. Category के अतिरिक्त, सामान्य कोटि या आरक्षित कोटि के Result में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन पहले DQ. Seat पर merit-cum-choice के आधार पर होगा । उसके बाद उसी अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि / आरक्षित कोटि की कॉउन्सेलिंग में यदि DQ Counselling से आवंटित कोर्स से कोई Better Choice मिलता है तो उसको सीट आवंटित होगा, नहीं तो उनका DQ-Counselling में आवंटित सीट यथावत रह जायेगी । यदि उनका आवंटन DQ Counselling में होने के पश्चात् अन्य (सामान्य / आरक्षित) कोटि में होता है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी DQ का सीट अगली कॉउन्सेलिंग के लिये खाली रह जायेगा ।

(ii) सैनिक कोटा– दिव्यांग कोटा के लिये अपनायी जाने वाली Allottment प्रक्रिया के अनुरूप ही सैनिक कोटे की Allotment प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

(iii) Unreserved (अनारक्षित) कोटि :- अनारक्षित कोटी के अभ्यर्थियों के लिये Course / Institution का आवंटन **Merit-Cum-Choice** के आधार पर उनके द्वारा Registration की गयी Option list के अनुसार किया जायेगा । ,

अनारक्षित कोटि की Merit List में आरक्षित कोटी के जो अभ्यर्थी अपने Merit के अनुसार सम्मिलित रहते हैं उनको Meritorious Reserved Candidate अर्थात MRC Candidate कहा जाता है । ऐसे MRC अभ्यर्थियो को यदि अनारक्षित कोटि में choice के अनुसार सीट उपलब्ध नहीं है तो वांछित Choice के लिये उनसे सम्बन्धित आरक्षित कोटि की वांछित सीट का आवंटन कर दिया जाता है । इस प्रकार के Case को MRC Candidate द्वारा Jump Over Case कहा जाता है । इस प्रकार एक Jump Over के लिये अनारक्षित कोटि की एक सीट नीचे से Compensation के लिये Block रखी जाती है ।

यदि SC,ST,EBC,BC, और RCG कोटियो में MRC Jump के कारण अनारक्षित कोटि में नीचे से कोटिवार Block की गई सीटें क्रमशः X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 हो तो कुल Block सीटें X_T होंगी जबकि

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

<u>Note:-</u> MRC Grils अभ्यर्थियों के लिये वांछित Course / Institution की उपलब्धता हेतु क्रमशः अनारक्षित एवं सम्बन्धि आरक्षित कोटि तथा RCG कोटि में जाँच की जाय ।

(iv) आरक्षित कोटि :- आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये उनकी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की Merit List से मेधा क्रम के अनुसार Option list की प्राथमिकता आधारित Course / Institution आवंटित किया जायेगा ।

उपरोक्त सीट आवंटन के लिये उपलब्ध सीटें निम्नवत् होंगी ।

Category	Seat available for option	No. of Seats to be allotted
SC	Available Vacancies in SC Category + X_T	Available Vacancies + X_1
ST	Available Vacancies in ST Category +(X_T-X_1)	Available Vacancies + X_2
EBC	Available Vacancies in EBC Category +(X_T-X_1-X_2)	Available Vacancies + X_3
BC	Available Vacancies in BC Category +(X_T-X_1-X_2-X_3)	Available Vacancies + X_4
RCG	Available Vacancies in RCG Category +(X_T-X_1-X_2-X_3-X_4)	Available Vacancies + X_5

5. पाठ्यक्रमवार / संस्थानवार कुल सीट के 5% अतिरिक्त सीटों पर Economically Backward अभ्यर्थियों का सीट आवंटन ।

(i) जिन अभ्यर्थियों के माता–पिता / अभिवावक (माता–पिता के नहीं रहने पर) की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो उनका ही मेद्या–सह विकल्प के आधार पर कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार वितरण की गयी 5% अतिरिक्त Economical Backward Seat पर आवंटन किया जाता है ।

(ii) उपरोक्त सीट आवंटन कंडिका 4 में वर्णित अनारक्षित SC, ST, EBC, BC, RCG कोटियों के लिये निर्धारित कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार सीट आवंटन के साथ–साथ चलता है । अर्थात Economically Backward Candidate के Choice List की प्राथमिकता की जाँच कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार सीट आवंटन हेंतु Normal Seat वितरण विवरणी में सीट उपलब्ध नहीं रहने पर Economically Backward 5% सीट की वितरण विवरणी के अनुसार सीट उपलब्धता देखी जाती है ।

(iii) मुख्य सीट वितरण विवरणी के अनुसार कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार सीट आवंटन करने में कंडिका 4.3 में वर्णित Jump Over Case के Compensation हेतु जो Process अपनाया जाता है वही Process Economically Backward 5% अतिरिक्त सीट के वितरण विवरणी के अनुसार कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार सीट आवंटन करने में भी अपनायी जाती है ।

6 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत SGIDT, Patna के लिये सीट आवंटन प्रक्रिया ।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक ही Engineering संस्थान यथा SGIDT, Patna और एक ही Course यथा Dairy Technology है ।

अत: सीट आवंटन के लिये SGIT, Patna के Dairy Tech पाठ्यक्रमवार की सीट वितरण–विवरणी अनुसार मेद्याक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी, जो Engg Strem के Engineering College की कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार Normal seat वितरण विवरणी के अनुसार सीट आवंटन के लिये अपनायी जाती है । अंतर केवल इतना है कि एक ही संस्थान और एक ही पाठ्क्रम रहने के कारण इसमें Jump Over Case नहीं हो सकेगा ।

7. Private Engineering संस्थान Exalt College of Engineering के लिये सीट आवंटन प्रक्रिया ।

एक ही Private Engineering संस्थान यथा Exalt College में कुल 4 (चार) पाठ्यक्रम है ।

अत: सीट आवंटन के लिये Exalt Engineering College की कोटिवार / पाठ्यक्रमवार सीट वितरण–विवरणी के अनुसार मेद्याक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी जो Engg Strem के Engineering College की कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार Normal seat वितरण विवरणी के अनुसार सीट आवंटन के लिये अपनायी जाती है ।

चूँकि एक संस्थान और चार पाठ्यक्रम है इसलिये Jump Over Case होगा ।